दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, रविवार 03 सितंबर 2023 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 335

महत्वपूर्ण एवं खास

दर्दनाक हादसा: आटा चक्की से लगा करंट, दो बच्चों सहित एक ही परिवार के चार लोगों की मौत

बाड़मेर (आरएनएस)। राजस्थान में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के बाड़मेर जिले के शिव थाना क्षेत्र में घर की आटा चक्की से करंट लगने से परिवार के दो बच्चों समेत चार लोगों की मौत हो गई। रामसर सर्किल अधिकारी अनिल सारण ने बताया कि आरंग गांव निवासी अर्जुन सिंह के घर में आटा चक्की से करंट लगने से उसकी पत्नी छेलू कंवर (23), उसके दो बच्चे-ढाई साल का जस्सू और एक साल का प्रताप तथा ससुर हठेसिंह (55) की मौत हो गई।सारण ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला कि मां को करंट लगने के बाद बच्चे नजदीक पहुंचे तो वो भी करंट की चपेट में आ गये और उन्हें बचाने के फेर में हठेसिंह भी करंट की चपेट में आ गए। उन्होंने बताया कि हादसे के समय अर्जुन सिंह घर से बाहर गए हुए थे। शवों को पोस्टमार्टम के लिये अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कुंए में गिरकर तीन बच्चियों की मौत

अम्बिकापुर-रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में शनिवार को एक बहुत हादसा सामने आया है। ग्राम बकनाकला के कुंदी बांध के निकट कुंए में डूबने से तीन बच्चियों की मौत हो गई है। इस हादसे की सूचना मिलते ही यहां बड़ी संख्या में ग्रामीण एकजुट हो गए थे। वहीं जिसने भी यह खबर सुनी वो हड़बड़ा कर घटना स्थल पहुंचने लगा। इसकी खबर आसपास के ग्रामों में फैली तो शोक की लहर उठ गई। बताया जाता है कि मृत बच्चियों की उम्र 5, 9 और 15 वर्ष है। तीनों बच्चियां नहाने के लिए आई थी और गहरे पानी में चले जाने के कारण तीनों की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है।

कलयुगी पिता ने बेटी की हत्या कर शव कुएं में फेंका, कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा

तुमकुरु (आरएनएस)। यहां पर एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की हत्या करने के बाद उसके शव को कुएं में फेंक दिया था। इस मामले में स्थानीय अदालत ने शनिवार को आरोपी पिता को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस घटना में कोराटागेरे तालुक के वेंकटपुरा गांव के निवासी नरसिम्हामूर्ति दोषी है। यह घटना 4 दिसंबर 2018 की है। व्यक्ति ने अपनी चार वर्षीय बेटी सिंधु की हत्या कर दी थी क्योंकि वह उसे अपनी दूसरी शादी में बाधा मानता था। उसने शव को कुएं में फेंका और फरार हो गया। कोलाला पुलिस ने लडक़ी के लापता होने का मामला दर्ज किया था, पुलिस आरोपी को पकडऩे में कामयाब रही। लगातार पूछताछ करने पर आरोपी ने अपराध कबूल कर लिया था। इस संबंध में कोलाला पुलिस ने नरसिम्हामूर्ति के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। न्यायाधीश केबी गीता ने फैसला सुनाया था और सरकारी वकील एस राजन्ना ने मामले की पैरवी की थी। नरसिम्हामूर्ति ने कबूल किया था कि उसे अपनी पहली पत्नी पर बेवफाई का शक था, और उसने दूसरी शादी करने का फैसला किया था।

उदय कोटक ने कोटक महिंद्रा बैंक से इस्तीफा, एमडी और सीईओ पद छोड़ा

नई दिल्ली (आरएनएस)। उदय कोटक ने 1 सितंबर से कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। कोटक, जिनके इस्तीफे पर शनिवार को बैंक की बोर्ड बैठक में विचार किया गया, बैंक के गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में बने रहेंगे। निदेशक मंडल के अध्यक्ष प्रकाश आप्टे को लिखे पत्र में कोटक ने कहा कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है, हालांकि उनके पास अभी भी कुछ महीने बाकी हैं। उन्होंने कहा, कोटक महिंद्रा बैंक में उत्तराधिकार पाना मेरे दिमाग में सबसे महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि हमारे अध्यक्ष, मुझे और संयुक्त एमडी को साल के अंत तक पद छोडऩा होगा। मैं इन प्रस्थानों को अनुक्रमित करके सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक हूं। मैं अभी इस प्रक्रिया को शुरू करता हूं और उन्होंने सीईओ पद से स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया। अंतरिम व्यवस्था के रूप में संयुक्त प्रबंध निदेशक, दीपक गुप्ता, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक के सदस्यों की मंजूरी के अधीन, 31 दिसंबर, 2023 तक प्रबंध निदेशक और सीईओ के कर्तव्यों का पालन करेंगे।

आदित्य एल-1 उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित

❐ सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करने का सिलसिला शुरू

श्रीहरिकोटा (आरएनएस)। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने देश के पहले सूर्य मिशन के तहत आदित्य-एल1 अंतरिक्ष यान को शनिवार को पृथ्वी की कक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया।

इसरो सूत्रों के मुताबिक 23 घंटे 40 मिनट की उल्टी गिनती समाप्त होने के साथ ही पूर्वाह्न 11.50 बजे पीएसएलवी-सी57 के जरिए शार रेंज से प्रक्षेपित आदित्य एल-1 को अब पृथ्वी की निचली कक्ष में स्थापित कर दिया गया है। इसी के साथ ही 125 दिनों की लंबे सफर में सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करने का सिलसिला शुरू हो गया।

उन्होंने बताया कि मिशन नियंत्रण केंद्र के वैज्ञानिक पूरे अभियान पर नजर रखे हुए हैं। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि आदित्य-एल1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है। सफल प्रक्षेपण के साथ ही सभी चार चरणों के प्रज्वलन और पृथक्करण के बाद रॉकेट को करीब 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर निर्धारित कक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया।

उन्होंने कहा कि 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अंतरिक्ष यान आदित्य-एल1 जनवरी 2024 के पहले सप्ताह में सूर्य के क्षेत्र में प्रवेश करेगा। करीब 1,475 किलोग्राम वजनी अंतरिक्ष यान को सूर्य-पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज प्वाइंट-1 (एल1) के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किमी दूर है।

सोमनाथ ने कहा कि अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की निचली कक्ष में रखे जाने के बाद कक्ष को और अधिक अण्डाकार बनाया जाएगा और बाद में अंतरिक्ष यान को ऑन-बोर्ड प्रोपल्शन थ्रस्टर्स का उपयोग करके लैग्रेंज बिंदु एल1 की ओर प्रक्षेपित किया जाएगा। जैसे ही अंतरिक्ष यान एल1 की ओर बढ़ेगा यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र (एसओआई) से बाहर निकल जाएगा। एसओआई से बाहर निकलने के बाद, क्रूज चरण शुरू हो जाएगा और बाद में अंतरिक्ष यान को एल1 के चारों ओर एक बड़ी प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि यू आर राव सैटेलाइट सेंटर (यूआरएससी), बेंगलुरु में तैयार आदित्य-एल 1 अंतरिक्ष यान को सूर्य-पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 (एल 1) के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किमी दूर है।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास बने दुनिया के बेस्ट बैंकर

पीएम मोदी ने दी बधाई

मुंबई (आरएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दुनियाभर में भारत का परचम लहरा दिया है। अमेरिकी ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने शक्तिकांत को विश्व स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंकर का स्थान दिया है। ग्लोबल फाइनेंस की रिपोर्ट में उन्हें 'ए+' रेटिंग दी गई है।

पीएम मोदी ने भी शक्तिकांत दास को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंकर की रेटिंग मिलने पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए गर्व का क्षण है, जो वैश्विक मंच पर हमारे वित्तीय नेतृत्व को दर्शाता है। पीएम ने कहा कि शक्तिकांत दास का समर्पण और दृष्टिकोण हमारे देश के विकास पथ को मजबूत करना जारी रखेगा।

दास को उन तीन केंद्रीय बैंक गवर्नरों की सूची में शीर्ष पर रखा गया है, जिन्हें ्र+ रेटिंग दी गई है। एक्स पर आरबीआई ने दास को बधाई देते हुए कहा, हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में 'ए+' रेटिंग दी गई है।

ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 के अनुसार, 'ए+' ग्रेड अर्जित करने वाले बैंक गवर्नरों में भारत के शक्तिकांत दास, थॉमस जे. जॉर्डन (स्विट्जरलैंड), गुयेन थी होंग (वियतनाम) हैं। बता दें कि 1994 से ग्लोबल फाइनेंस द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड यूरोपीय संघ, पूर्वी कैरेबियाई सेंट्रल बैंक, सेंट्रल अफ्रीकी राज्यों के बैंक और 101 प्रमुख देशों के केंद्रीय बैंक गवर्नरों को ग्रेड देता है।

बालासोर ट्रेन हादसा: सीबीआई की चार्जशीट में तीन रेलवे अफसरों के नाम

नई दिल्ली (आरएनएस)। ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुए रेल हादसे में सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दी है। इस चार्जशीट में तीन रेलवे अफसरों सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहंता, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार का नाम है। 7 जुलाई को सीबीआई ने तीनों आरोपियों को अरेस्ट किया था। इन तीनों को आईपीसी की धारा 304, 201 और रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 153 के तहत गिरफ्तार किया गया था।

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि बहनागा बाजार स्टेशन के पास लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 94 पर मरम्मत का काम महंत द्वारा एलसी गेट नंबर-79 के सर्किट डायग्राम का उपयोग करके किया गया था। उन्होंने कहा, आरोपियों का कर्तव्य यह सुनिश्चित करना था कि मौजूदा सिग्नल और इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशन की टेस्टिंग, ओवरहालिंग और बदलाव स्वीकृत योजना और निर्देशों के अनुसार हो, जो उन्होंने नहीं किया। इस साल 2 जून को हुआ यह भीषण रेल हादसा भारत के इतिहास में सबसे बड़ी रेल दुर्घटना थी। इस भीषण हादसे में 296 लोग मारे गए थे और 1200 से अधिक घायल हुए थे।

आतंकी मॉड्यूल पर एनआईए की छापेमारी के बाद रामेश्वरम में स्पेशल पुलिस कर रही जांच

चेन्नई (आरएनएस)। तमिलनाडु 'क्यू' ब्रांच पुलिस रामेश्वरम नगर के एक युवक के साथियों, दोस्तों और रिश्तेदारों की जांच कर रही है, जिसके परिसर पर एक संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने छापा मारा था। आतंकी मॉड्यूल पर एनआईए की छापेमारी के बाद रामेश्वरम में स्पेशल पुलिस कर रही जांच

एनआईए ने खुफिया जानकारी के बाद युवक के परिसरों पर छापा मारा, जिसमें अफगानिस्तान में अल-कायदा और अन्य आतंकवादी संगठनों का हिस्सा बनने के लिए अफगानिस्तान में जमीन खरीदने के लिए धन इकट्ठा करने में उसकी संलिप्तता का संकेत मिला था।

प्रमुख जांच एजेंसी ने अल-कायदा के लिए धन जुटाने की खुफिया जानकारी के आधार पर चार राज्यों-गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल के परिसरों में छापेमारी की है। यह तलाशी महाराष्ट्र में तीन स्थानों पर और अन्य राज्यों में एक-एक स्थान पर की गई।

खुफिया एजेंसियों के अनुसार, फंड जुटाना भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा (एएलक्यूआईएस) और तहरेक-ए-तालिबान के लिए है।

केंद्रीय एजेंसियों के अनुसार, ये संगठन युवाओं की भर्ती करने और भारत में आतंक फैलाने की योजना बना रहे हैं।

तमिलनाडु 'क्यू' शाखा, जो राज्य पुलिस का एक विशिष्ट बल है, संदिग्ध युवक के इतिहास, राज्य के अन्य जिलों में उसके कनेक्शन के साथ-साथ उसके परिवार के सदस्यों, दोस्तों और रिश्तेदारों की जांच कर रही है।

राज्य पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य पुलिस ने कुछ दिन पहले कोयंबटूर के कुछ इलाकों में तलाशी ली थी। उन्होंने कहा कि यह दीपावली की पूर्व संध्या पर हुए कार बम विस्फोट की जांच के बाद किया गया था, जिसमें 29 वर्षीय जमीशा मुबीन की उक्कदम में एक मंदिर के पास जलकर मौत हो गई थी। वह व्यस्त दीपावली बाजार में एक बड़े आत्मघाती हमले की योजना बना रहा था, लेकिन उसके अनुभव की कमी के कारण गंतव्य से काफी पहले ही बम में विस्फोट हो गया।

एक देश, एक चुनाव के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित : अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी बने सदस्य

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने 'एक देश, एक चुनाव' के लिए देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर दिया है। सरकार द्वारा 2 सितंबर को इस उच्चस्तरीय समिति के गठन के लिए जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी को इसमें सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है।

केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित के तौर पर समिति की बैठक में शामिल होंगे और विधि कार्य विभाग के सचिव नितेन चंद्र को इस उच्चस्तरीय समिति का सचिव बनाया गया है।

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उच्चस्तरीय समिति का मुख्यालय नई दिल्ली होगा। यह समिति तुरंत कार्य करना आरंभ करेगी और यथाशीघ्र सिफारिशें करेगी।

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में एक साथ चुनाव कराने को राष्ट्रीय हित में करार देते हुए यह लिखा गया है कि, वर्ष 1951-52 से वर्ष 1967 तक लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव अधिकांशत: साथ-साथ कराए गए थे और इसके पश्चात् यह चक्र टूट गया। अब, लगभग प्रत्येक वर्ष और एक वर्ष के भीतर भी विभिन्न स्तरों पर चुनाव होते रहते हैं, जिसके कारण सरकार और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अन्य हितधारकों का बहुत ज्यादा खर्च होता है।

बार-बार चुनावों की वजह से निर्वाचन अधिकारियों और सुरक्षा बलों को अपने मूल कार्यों को छोडक़र लंबे समय तक चुनावी ड्यूटी में लगना पड़ता है और इसके साथ-साथ लंबे समय तक आदर्श आचार संहिता लागू रहने के कारण देश के विकास से जुड़े कार्यों में भी रुकावटें आती है।

भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए यह भी कहा गया है कि, भारत के विधि आयोग ने निर्वाचन विधियों में सुधार पर अपनी 170वीं रिपोर्ट में यह कहा है कि, 'प्रत्येक वर्ष और बिना उपयुक्त समय के निर्वाचनों के चक्र का अंत किया जाना चाहिए। हमें उस पूर्व स्थिति का फिर से अवलोकन करना चाहिए जहां लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए निर्वाचन साथ-साथ किए जाते हैं।

यह सत्य है कि हम सभी स्थितियों या संभाव्यताओं के विषय में कल्पना नहीं कर सकते हैं या उनके लिए उपबंध नहीं कर सकते हैं, चाहे अनुच्छेद 356 के प्रयोग के कारण (जो उच्चतम न्यायालय के एसआर. बोम्मई बनाम भारत संघ के फैसले के पश्चात् कम हुआ है) या किसी अन्य कारण से उत्पन्न हो सकेंगी, किसी विधानसभा के लिए पृथक निर्वाचन आयोजित करना एक अपवाद होना चाहिए न कि नियम। नियम यह होना चाहिए कि लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए पांच वर्ष में एक बार में एक निर्वाचन'। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि, कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने 'लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए साथ-साथ निर्वाचन आयोजित करने की साध्यता पर दिसंबर 2015 में प्रस्तुत अपनी 79वीं रिपोर्ट में भी इस मामले की जांच की है और दो चरणों में साथ-साथ निर्वाचन आयोजित करने की एक वैकल्पिक और व्यवहार्य विधि की सिफारिश की है।

सड़क पर खड़े वाहन से टकराई कार, तीन पुलिस मुलाजिमों की मौत, दो घायल

खरगोन (आरएनएस)। मध्यप्रदेश के खरगोन जिला मुख्यालय पर आयोजित शिव डोला समारोह में ड्यूटी समाप्त कर सनावद लौट रहे दो उप निरीक्षक और एक आरक्षक की सडक़ दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि एक आरक्षक और एक नगर सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा पुलिस कर्मचारियों की कार के एक खड़े वाहन से टकराने के कारण हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव और अन्य अधिकारी सनावद पहुंचे।

सनावद के थाना प्रभारी निर्मल कुमार श्रीवास ने बताया कि बड़ूद गांव के पास सुबह लगभग पांच बजे हादसा हुआ। उप निरीक्षक विमल तिवारी और रमेश चंद्र भास्करे तथा आरक्षक मनोज कुमावत की मृत्यु हो गयी। कार में सवार आरक्षक रघुवीर रावत और नगर सैनिक कोमल दंगोड़े बुरी तरह घायल हो गए।

दोनों घायलों को सनावद के सरकारी अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए इंदौर भेज दिया गया है। सनावद थाने का स्टाफ खरगोन में आयोजित शिव डोला समारोह में ड्यूटी देने गया था और ड्यूटी समाप्त होने के बाद एक एक निजी कार से पांचों लौट रहे थे। कार खरगोन से लगभग 60 किलोमीटर दूर सनावद थाना क्षेत्र के बड़ूद गाव के पास एक खड़े वाहन से टकरा गई। विमल तिवारी इंदौर, रमेश चंद्र भास्करे बुरहानपुर क्षेत्र और मनोज कुमावत सिमरोल निवासी थे।

जी20 : 7 सितंबर को भारत पहुंचेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, प्रधानमंत्री मोदी के साथ करेंगे बैठक

नई दिल्ली (आरएनएस)। राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को जी-20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से लेकर चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग भी मौजूद होंगे। दुनिया के अलग-अलग देशों के कई शीर्ष नेता इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं।

भारत भी गर्मजोशी से इनके स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बीच खबर है कि 7 सितंबर को जो बाइडेन दिल्ली पहुंचेंगे। बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार भारत दौरे पर आ रहे हैं। व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी कर बताया की जो बाइडन 7 को दिल्ली पहुंचेंगे और अगले दिन यानि 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे।

व्हाइट हाउस ने जारी एक बयान में बताया कि शनिवार और रविवार (9 और 10 सितंबर) को राष्ट्रपति जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यहां वह जी20 भागीदार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन से निपटने सहित वैश्विक मुद्दों से निपटने के लिए कई संयुक्त प्रयासों पर चर्चा करेंगे।

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर भी बाइडन चर्चा करेंगे। वह यूक्रेन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के युद्ध के आर्थिक और सामाजिक प्रभावों को भी कम करेंगे और वैश्विक चुनौतियों से निपटने

सहित गरीबी से बेहतर ढंग से लडऩे के लिए विश्व बैंक सहित बहुपक्षीय विकास बैंकों की क्षमता बढ़ाएंगे। नई दिल्ली में रहते हुए, राष्ट्रपति बाइडन जी20 के लिए प्रधान मंत्री मोदी के नेतृत्व की भी सराहना करेंगे।

चुनौती के बगैर हाईकोर्ट को नियमों को अधिकारातीत घोषित नहीं करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून के प्रावधानों को रद्द करने या किसी नियम को अधिकारातीत घोषित करने के लिए, नियमों को चुनौती देने और ऐसी राहत मांगने के लिए अदालत के समक्ष विशिष्ट दलील दी जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (लचीली पूरक योजना के तहत इन-सीटू प्रमोशन) नियम 1998 में वैज्ञानिक और तकनीकी समूह ए (राजपत्रित) पदों के नियम 4 (बी) को असंवैधानिक घोषित करते हुए उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया।

पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के समक्ष दलीलों में नियमों को किसी भी चुनौती के अभाव में, भारत संघ के पास इसका खंडन करने का अवसर नहीं है या लाए गए नियमों के पीछे के उद्देश्य को रिकॉर्ड पर लाने का कोई अवसर नहीं है।

सितंबर 2008 में पारित अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने पदोन्नति संबंधी विवाद में कैट के आदेश के खिलाफ एक रिट याचिका पर विचार करते हुए नियम 4 (बी) को असंवैधानिक घोषित कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने यह देखने के बाद कि उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में, नियम 4(बी) को अधिकारातीत घोषित किया गया है अपने फैसले में कहा, रिट याचिका में केवल कैट के आदेश को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी की प्रकृति में एक रिट की मांग की गई थी। इसलिए दिए गए तथ्यों में, उच्च न्यायालय के पास नियम 4(बी) को अधिकारातीत घोषित करने का कोई अवसर नहीं है।

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने गुण-दोष के आधार पर नियमों की वैधता के संबंध में कोई विचार व्यक्त नहीं किया है और इसलिए, उसका निर्णय किसी भी लंबित कार्यवाही में या नियमों की वैधता के मुद्दे से निपटने वाली किसी भी अदालत के रास्ते में नहीं आएगा।